27.01.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता को बार-बार आवाज दिलाई गई। जो हाजिर नहीं है। अतः अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। बाद जाप्ता कार्यवाही मूल वाद के संलग्न हो।
	(दमयन्ती कंवर) उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.29 12:51:50 IST
Reason: SelfAttested